पर्यावरणीय जन–सुनवाई के कार्यवृत (Minutes)

"मैसर्स खेरड़ाबरा मेसनरी स्टोन खदान" (प्रो. संन्देश मईड़ा) एम.एल.नं. 11/2019 (क्षैत्रफल 1.0001 हैक्टेयर), (क्लस्टर क्षेत्रफल 6.0041 हैक्टेयर), की पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 08.10.2024 प्रातः 11:00 AM बजे, ग्राम पंचायत–खेरड़ाबरा, ग्राम–खेरड़ाबरा, तहसील व जिला–बॉसवाड़ा में आयोजित पर्यावरणीय जन–सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

स्थान– ग्राम पंचायत–खेरड़ाबरा, ग्राम–खेरड़ाबरा, तहसील व जिला–बॉसवाड़ा (राज.)

पर्यावरणीय जनसुनवाई में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई–

1. **श्री अभिषेक गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला– बांसवाड़ा**
2. **श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा**
3. **श्री शिव दयाल धाकड, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा**

जन सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री अभिषेक गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला– बांसवाड़ा की अध्यक्षता में श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए तथा जन सुनवाई के संबंध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा की यह जन सुनवाई भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसुचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानो के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिन पूर्व आमसूचना स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 07.09.2024 को प्रकाशित करवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 07.10.2024 को आमजन को सूचना हेतु जन सुनवाई की तारीख, स्थान, समय के बारे में मुनादी करवा दी गयी थी।

यह जनसुनवाई **"मैसर्स खेरड़ाबरा मेसनरी स्टोन खदान"** द्वारा प्रस्तावित मेसनरी स्टोन खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 11/2019 लीज क्षेत्र 1.0001 हैक्टेयर, प्रस्तावित मेसनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 52,657.50 TPA (ROM) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.0041 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 525768 TPA ग्राम–खेरड़ाबरा, तहसील व जिला–बॉसवाड़ा (राज.) स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है।

उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमे आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमे दे सकते है।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को संदर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 13.01.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की जा चुकी है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तो की उद्योगो द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जनसुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "1" में संलग्न) हैं।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार (एपेक्स मिनकेम कंसल्टेंट्स, प्रतापनगर, उदयपुर (राज.)) द्वारा उक्त इकाई के संबंध में तैयार की गई ई.आई.ए. रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है :–

श्री भरत निनामा, ग्राम –खेरड़ाबरा, ने कहा कि जो यह मेरी पहली समस्या है यहां के लोग पढ़े–लिखे कम है सर ने जो बताया है उसकी जानकारी काफी कम है जो आप बता रहे हैं सर वह मौके पर उपलब्ध है ही नहीं, एवं जो प्लांट चल रहे हैं आसपास में काफी लोग रह रहे हैं धूल मिट्टी भी उड़ती है प्रदूषण भी होता है जैसे माइंस में खनन का है ब्लास्टिंग का है तो इन सब का क्राइटेरिया भी होता होगा तो भी ज्यादा पत्थर उड़ते हैं पत्थर उड़ने से आसपास के लोगों के चद्दर टूट गई है या फिर दरारें आ गई है। पानी का जलस्तर भी नीचे चला गया है और प्लांट चल रहे हैं तो ऐसे आसपास में विकास में फंड भी देते हैं उसमें से भी स्कूलों में आज तक मैंने तो कहीं भी देखा नही एवं यह जो नागरिक काम कर रहे हैं कीट का भी कहीं कुछ दिया हो तो ऐसा तो हमने नहीं देखा है।

श्री अमित सक्सेना, पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि जो पुरानी माइंस है अब उनका सिया से हो रहा है उसकी अनुपालना अच्छे से की जाए इसके लिए जो हमें कंडीशन दी जाती है उसकी 6–6 महीने की रिपोर्ट बांसवाड़ा में भी देते हैं और हेड ऑफिस में भी देंगे जब परमिशन मिल जाएगी और अगर उसमें हमारी कोई कमी होगी तो परमिशन रेवोक हो जाएगी। श्रमिकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। माइंस के चारों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे । जहां तक संभव होगा इसमें ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी रॉक ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाएगा।

श्री भरत निनामा, ग्राम –खेरड़ाबरा, ने कहा कि लेकिन पेड़ लगाए तो पानी की सुविधा नहीं करते तो सूख जाते हैं धूल रोकने के लिए जब जनता कहती है तो एक–दो दिन पानी का छिड़काव करते हैं एक प्लांट करता है दूसरा नहीं करता है हम पहले से परेशान है अब हो सके तो नई लीज नहीं हो।

श्री मती शांता, ग्राम–चीब, ने कहा कि चट्टाने उड़ जाती है दीमक लग जाती है रोड भी नहीं बनती है पानी भी नहीं मिलता है एवं पुराने मकान भी फट गए हैं

इतनी सारी समस्याओं को कौन दूर करेगा। धूल भी बहुत उड़ती है और रात को 8.00 बजे ब्लास्टिंग करते है एवं पानी की समस्या बहुत है।

श्री मती इन्द्रा, ग्राम–चीब, ने कहा कि हमारे खाने–पीने में मिट्टी होती है एवं चने की फसल होती थी अब तो वो भी नही हो रही हैं न तो पानी पीने का मिल रहा है पानी का छिड़काव करने को कहते है तो भी नही करते है। कहने जाएं तो लठ लेकर मारने आते हैं एवं ब्लास्टिंग से हर बात की दिक्कत है।

श्री श्रीकांत चरपोटा, ग्राम–खेरड़ाबरा, ने कहा कि ब्लास्टिंग हो रही है इस कारण से एक–आधा किलोमीटर में लंबे समय से पत्थर उड़ उड़ के आते हैं एवं पास में एक खैरपाड़ा स्कूल भी है जो प्राइमरी है जिसमें ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही उसमें बैठने की व्यवस्था है इस क्षेत्र में पानी की लगातार कमी होती जा रही है पहाड़ी एरिया है ब्लास्टिंग वगैरा लगातार होती जा रही है वर्तमान में खदान में पानी था तो वह भी खाली किया जा रहा है । दूसरी वजह यह है कि 8.00 बजे तक ब्लास्टिंग हुई हम सभी गांव वासी वहां गए तो क्रेशर वालों ने हमें धमकाने की कोशिश की है तो कई बार हमे ऐसी आपत्ति भी आती है। दिन में भी 12–01 बजे तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र होते हैं तब भी धूल उड़ती है हम रात को भी पढ़ते हैं फिर भी वह क्रेशर चलते है। 1 किलोमीटर तक के दायरे में रात को हम सो भी नहीं पाते हैं वर्तमान में 200 छात्र आसपास के इसी स्कूल में पढ़ते हैं 500 से 700 लोग वहा रहते हैं वहां पर 107 घर है हम इस क्षेत्र को चाहते हैं कि ग्रामीण आबादी क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि लगातार खदानें ना पड़े यहां पर।

श्री जयन्तीलाल निनामा, ग्राम–खेरड़ाबरा, ने कहा कि माइंस के पास में हमारा मकान है आसपास में धूल काफी उड़ती है और पास में खदान काफी गहरी हो गई है और बच्चे गिरने की भी संभावना ज्यादा है वहां पर दीवार करवाई जाए सड़क के पास में एक बिल्कुल पास में पड़ती है कुछ भी करके माइंस को पैक कर दिया जाए।

श्री भरत निनामा, ग्राम –खेरड़ाबरा, ने कहा कि 8–9 घंटे माईंस चलती है माईस रात को बच्चों को भी पढ़ने में समस्या आ रही है इनका भी कोई क्राइटेरिया होगा कितनी बजे तक चलानी है माइन्स । या तो सोने में भी दिक्कत या पढ़ाई करें तो पढ़ाई मे भी समस्या । एक और समस्या है कि ग्लोबल वार्मिंग में चल रही है पेड़

पौधे भी काटे जा रहे हैं धूल मिट्टी से खेती तो दूर आसपास के पेड़ पौधे भी नहीं उग पा रहे हैं जैसा कि अभी आज जनसुनवाई है खदान मालिक ने पानी का छिड़काव कर दिया है।

श्री मती गीता, ग्राम–खेरड़ाबरा, ने कहा कि हमारे घरों में दरारें आ रही है तो इनको बोला तो यह वापस डराते है और सड़क तो वैसे बनती नहीं है और यह क्रेशर चलाते हैं जो बिगड़ जाती है और यह बेरोजगार जो महिलाएं बैठी है इनको भी रोजगार नहीं दिया जाता है हमारे हीरापाडा में तो बहुत दिक्कत है क्रेशर चलने से और ब्लास्टिंग तो कभी भी कर देते हैं।

श्री प्रकाश चरपोटा, ग्राम –खेरड़ाबरा, ने कहा कि इन लोगो ने सही बात कही, जिस समय लीज हो गई उस समय क्या है कि लोगों को लीज का पता नहीं था लीज हो जाएगी और आज पता चला की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और अब पता चला कि यह लीज तो मेरे खेत के पास में आ गई है, इनका भी खेत है और इधर लीज भी आ गई, अब मेरा कहना यूं है कि ब्लास्टिंग में भी कोई सीमा होती होगी सीमा के आधार पर होगा तो इनका भी नुकसान ना हो बाकी खदान मालिक का भी नुकसान ना हो और यह जो हमारे भाई है इनको किसी किसी को रोजगार भी मिल रहा है यू नहीं कि नहीं मिल रहा हो और रोड की बात है तो हमने रोड बनाने के लिए खनिज विभाग को कई बार अवगत कराया लेकिन आज तक तो सैंक्शन नहीं हुआ, बाकी बड़े–बड़े साधन जाते हैं तो रोड तो टूटेगा ही, बाकी इनको गांव तक बढ़िया बड़ा रोड मिल जाए तो धूल नहीं उड़ेगी, बाकी जो समस्याएं इन्होने बताई वो इनकी खुद की समस्याएं है वह आपके सामने है।

श्रीमती ज्योति, ग्राम –खेरड़ाबरा, ने कहा कि 1–2 चद्दर डाल दिया और वापस आकर देखा भी नहीं और रोजगार भी हम लोगों को नहीं दिया और पानी की समस्या भी बहुत है।

श्री प्रभुलाल, ग्राम–चीब, ने कहा कि अगर पानी का छिड़काव हो तो मिट्टी भी नहीं उड़े, प्रदूषण भी नहीं फेलेगा मगर कोई भी क्रेशर प्लांट तथा सड़क पर पानी छिड़काव नहीं करता है, यह तो आपका दौरा रहा तो सभी क्रेशर प्लांट पर पानी का छिड़काव हो गया एवं जो पांच लीज चल रही है उनको तो हम जैसे तैसे सहन कर

रहे है पर हमारा निवेदन है की नयी लीज तो आवंटित नहीं की जाये। दूसरा यह कि क्रेशर प्लांट पर हर क्रेशर वाला पानी का छिड़काव करें, ब्लास्टिंग करें तो माइंस के पत्थर उनके अंदर ही पड़े एवं पत्थर हमारे मकान के ऊपर ना गिरे।

श्री अभिषेक गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर, ने कहा कि आज जो जनसुनवाई की गई है इसका उद्देश्य जो नई लीज प्रस्तावित है उसके आस पास के क्षेत्र के लोगों से चर्चा की जाए तथा जनसुनवाई से जो सुझाव, बातें निकलकर आए वो वस्तुस्थिति ही जयपुर संबंधित विभाग को भेजी जाए, आप सभी ग्रामीणवासियों ने जो बातें कही है वो इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है यह वीडियो रिकॉर्डिंग भी जयपुर जाएगी साथ ही जो बातें आपने कही है वो लिखित रूप में भी भेजी जाएगी।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट के प्रस्तावक, केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्र के लोगों के दैनिक जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े इसके लिए भी संबंधित विभागों की जो गाइडलाइंस है उनकी पालना भी ये लोग शत प्रतिशत करे।

आज की जनसुनवाई में हम कोई फैसला नहीं ले रहे है बस जो आपकी बातें हैं उनकी वस्तुस्थिति रिपोर्ट जयपुर संबंधित विभाग को भिजवाई जाएगी।

जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत खैरडाबरा के समस्त ग्रामवासियों द्वारा दिए गएं पत्र की प्रति परिशिष्ट "2" में संलग्न है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए पत्र की प्रति परिशिष्ट "3" में संलग्न है ।

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा घोषणा की गई कि जन सुनवाई आप सभी की उपस्थिति में संपन्न की जाती है।

धन्यवाद।

(रवि चंदेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.म., बांसवाड़ा

(अभिषेक गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जिला– बांसवाड़ा

परिशिष्ट : 1

मैसर्स मैसर्स खेरड़ाबरा मेसनरी स्टोन खदान, (प्रो. संन्देश मईड़ा) एम.एल.नं. 11/2019 (क्षेत्रफल 1.0001 हैक्टेयर)(क्लस्टर क्षेत्रफल 6.0041 हैक्टेयर), प्रस्तावित खनन पट्टा संख्या एम.एल.नं. 11/2019 लीज क्षेत्र 1.0001 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 52,657.50 TPA (ROM) (मेसनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 50,024 TPA) निकट ग्राम–खेरड़ाबरा, तहसील व जिला–बॉसवाड़ा, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 08.10.2024 को 11:00 AM बजे, ग्राम पंचायत–खेरड़ाबरा, ग्राम–खेरड़ाबरा, तहसील व जिला–बॉसवाड़ा में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री अभिषेक गोयल	अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा	[signature]
2.	श्री रवि कुमार चंदेल	क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB, बांसवाड़ा	[signature]
3.	शिवदयाल धाकड़	JEE, RSPCB, बांसवाड़ा	[signature]
4.	अमित सक्सैना	Apex Mintech Consultants.	[signature]
5	[illegible]	[illegible]	[signature]
6	प्रकाश [illegible]	ग्रामीण खेरडाबरा	[signature]
7.	[illegible]	ग्रामीण खेरडाबरा	[signature]
8.	रमेश	ग्रामीण	रमेश
9.	[illegible]	—॥—	[signature]
10	[illegible]	—॥—	[signature]
11.	[illegible]	—॥—	[signature]
12	[illegible]	—॥—	[signature]
13	नरेश	—॥—	[signature]
14	दिपक [illegible]	—॥—	नरेश
15	[illegible]	—॥—	दिपक
16	संदेश मईडा	खेडाबरा	[signature]
17	बापुलाल	—॥—	बापुलाल

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
18	रवि	खेरडाबरा	रवि
19	रामबाबु	खेरडाबरा	रामबाबु
20	विजय	खेरडाबरा	विजय
21	डॉ. पूजा कलावा	आयुर्वेद विभाग	[illegible]
22	राकेश कुमार गुर्जर	GRS पंचायत	[illegible]
23	हितेश पंचाल	VDO पंचायतीराज	[illegible]
24	रेखा जोशी	LDC पंचायतीराज	[illegible]
25	श्रीमती सीमा पाटिल	ILR खेरडाबरा	[illegible]
26	भानु प्रिया	पटवारी खेरडाबरा	[illegible]
27	पवन	खेरडाबरा	पवन
28.	देवी लाल	खेरडाबरा	देवीलाल
29.	भीम जी	खेरडाबरा	भीमजी
30.	नारायण	खेरडाबरा	नारायण
31.	देवीलाल मीणा व. 13	खेरडाबरा	देवीलाल

Annexure--2

सेवामें,

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदयजी,

जिला बांसवाड़ा (राज.)।

विषय :– खनिज आवंटन हेतु लीज के आवेदन को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पंचायत खेरडाबरा के गांव हेरापाड़ा के वार्ड न. 12, 13 व 3 में वर्तमान में कुल 5 माईन्स संचालित है उक्त माईन्स संचालन के 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 107 मकान स्थित है जिसमें 504 लोगा निवासरत है। उक्त माईन्स संचालन से वहां के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही वर्तमान में बड़े–बड़े उद्योगपतियों द्वारा खनिज आवंटन करने हेतु खनन विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है। हम ग्रामीणजन उक्त आवंटन को निरस्त करवाना चाहते है जिसके निम्न कारण है :–

1. यह कि, ग्राम खेरडाबरा में स्थित खेत सर्वे न. 442 जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हेरापाड़ा संचालित है। उक्त सर्वे नम्बर के खातेदार शारदा मईड़ा एवं प्रभु मईड़ा है। उक्त खेत की लीज लेने की संभावना बनी हुई है। जबकि उक्त खेत के पास नानु/हमीरा, बापुलाल/गौतम, बापुलाल/उंकार, मांगीलाल/वेजुड़ा का खेत स्थित है।
2. यह कि, ग्राम खेरडाबरा में खेत सर्वे न. 443 जो रावजी/कावा एवं रमण/खातिया के नाम पंजीकृत है। उक्त खेत में 400 फीट बोर किया हुआ है एवं सरकारी तालाब नाल न. 529 है।
3. यह कि, ग्राम खेरडाबरा में खेत सर्वे न. 428 जो संदेश मईडा के नाम से पंजीकृत है उक्त खेत के पास हुकिया/धुलिया, गणेश/हुकिया, बक्सु/हुकिया, दिनेश/हुकिया एवं नारण/मंगला का मकान स्थित है जो अपने परिवार सहित निवासरत है। सर्वे न. 439 व 412 में 350 फीट का बोर किया हुआ है।
4. यह कि, खेत सर्वे न. 764 के पास नानु/उंकार, शंकर/लक्ष्मण, मनजी/लक्ष्मण, रामा/वेलिया का घर स्थित है।
5. यह कि, खेत सर्वे न. 511/811 जो संदेश मईड़ा के नाम पंजीकृत है उक्त खेत के पास लक्ष्मण/मईला, नानीया/मईला, राजु/मईला, शम्भु/मईला, हरीश/मईला, मदन/मईला, वागजी/~~मईड़ा~~ मईला का घर स्थित है जो अपने परिवार सहित निवासरत है।
6. यह कि, खेत सर्वे न. 523/1, 523/2, 1264/523 के पास कालु/भेमजी का मकान स्थित है और एक कुआ भी स्थित है।

केसर

वार्ड पंच, वा. 12
ग्राम पंचायत खेरडाबरा
पं.स. ... जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. यह कि, ऊपर अंकित सभी सर्वे नम्बर में खनीज हेतु खनन लीज आंवटन होने की पूर्ण संभावना है। श्रीमान् सम्पूर्ण खेत में गरीब काश्तकार अपने परिवार सहित निवासरत है और खेती कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है। उक्त खेत सर्वे न. 523/1523/2, 1264/523 खनन विभाग द्वारा आबादी क्षेत्र में लीज आंवटित नही की जावें ताकि आबादी क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

8. यह कि, बड़े–बड़े उद्योगपतियों द्वारा खनन का कार्य नियमों के साथ नही किया जाता है और गरीब काश्तकारों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा है। आबादी क्षेत्र में रहने वाले समस्त काश्तकारों की खेती पर भी दुषप्रभाव पड़ता है।

9. यह कि, खनन का कार्य पूरे 24 घंटे चलता रहता है दिन और रात में खनन कार्य होने से मशीनों की जोर–जोर से आवाज आना, मिट्टी का पाउडर उड़ना आदि तरह की समस्या बनी रहती है। शोर शराबा होने से बच्चों को पढ़ाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

10. यह कि, इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा खनन माफियों से बात की किन्तु उनके द्वारा हमेशा अपनी दादागिरी की जाती है और अपने पैसों का रोब दिखाते है। हम गरीब काश्तकार कुछ नही कर पाते है। हम गरीब काश्तकारों की सुनने वाला आपके आलवा ओर कोई नहीं है।

11. यह कि, खसरा नम्बर 650/1444/650 व 1445/650 में संजय चौधरी/राजेन्द्र चौधरी का क्रेशन प्लान्ट जो बांसवाड़ा से माहीडेम मेन रोड़ तथा गांव चीब खेरडाबरा के मेन रोड़ पर स्थित है। उक्त प्लान्ट के पास वरसेंग/मगंला, कालिया/मंगला, रामा/वेस्ता, हुकिया/वेस्ता, बक्सु/हुकिया, नटवर/हुकिया, कानजी/दिया, जोका/मंगजी, छगन/ कानजी, हुका/कानजी, मगन/हुकिया के मकान स्थित है और संजय चौधरी की पत्नी की लीज न. 21/22 के पास कालु/भेमजी, कानजी/तेजीया, राजु/कानजी, विश्राम/कानजी, कमजी/कानजी, ईश्वर/मानजी, किशन/कानजी, जयन्ती/नाथु, वरसेंग/केवजी, प्रभु/दिपा, जीवा/प्रभु, अमरा/गौतम, कालु/गौतम, राजु/गौतम, जगदीश/संतु, देवीलाल/सन्तु बन्दु/सन्तु, प्रकाश/रामा, दिनेश, लक्ष्मण, बिजिया का मकान स्थित है।

12. यह कि, वर्तमान में खसरा नम्बर 465/1105/468 एवं 1304/1105 जिसमें गंगोत्री क्रेशर प्लान्ट संचालित है। उक्त क्रेशर प्लान्ट के आस–पास आबादी क्षेत्र है जहां पर जीवा/अर्जुन, पप्पु/हकरा, गणेश/मोगजी, मंगला/गौतम, नटवर/गौतम, नगला/नरू, कचरू/मईला, कैलाश/नगला, बहादूर/मंगजी,

केसर
वार्ड पंच, वार्ड
ग्राम पंचायत खेरडाबरा
पं.स.व जिला बांसवाड़ा (राज.)

कालु/हकरा, बापुलाल/अर्जुन, कुबेर/दलिया, राजु/कानजी, बापुलाल/दलिया, संतु/दलिया, संतोष/विठला, राजु/मईला, मदन/मईला एवं शम्भु का मकान स्थित है जो अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है। इसी क्रम में पी.सी. जैन क्रेशर प्लान्ट जो लीज न. ~~7199~~ 1999 संचालित है। इसके पास त्रिपुरा क्रेशर प्लान्ट भी संचालित है।

13. यह कि, पप्पु/हकरा के खेत में 3 बोर जो 350 फीट तक भरे हुए थे किन्तु खनन कार्य होने के कारण उक्त तीनों बोर पुरी तरह से सुख गये है। राजु/मईला का हेण्डपम्प लगा हुआ वह भी खनन के कारण सुख गया है। वर्तमान में काफी गर्मी होने के कारण आबादी क्षेत्र में पानी की काफी समस्या उत्पन्न हो रही है।

14. यह कि, उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जमीन नकले संलग्न की है। उक्त नकलो में जो खसरा नम्बर अंकित है उस पर करीब 5 से 7 लीज आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

15. यह कि, वर्ष 2004 में राज्य सरकार द्वारा अलोटमेंट की कार्यवाही की गई थी उसके पश्चात् आज तक अलोटमेंट नही हुआ। वर्तमान में उक्त जमीन श्रीसरकार है। हमे राज्य सरकार से आशा है कि पुनः अलोटमेंट योजना प्रारम्भ की जावें और हम काश्तकारों द्वारा नियमित रूप से पेनल्टी जमा करवा रहे है उनके नाम पट्टा आवंटित किया जावें।

16. यह कि, हम काश्तकारों का बाप–दादा के समय से उक्त जमीन पर हमारा कब्जा है और हम काश्तकार खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे है। वर्तमान में भारी संख्या में लोग निवास कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा इसको आबादी क्षेत्र घोषित किया जावें।

अतः आप श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त क्षेत्र में खनिज आंवटन हेतु लीज आवेदन को निरस्त किया जावे।

दिनांक : 9-10-2024

भवदीय

(समस्त ग्रामवासीयान)
ग्राम पंचायत खेरडाबरा
जिला बांसवाड़ा (राज.)

केसर

भरत निनामा

वार्ड पंच, वार्ड ... 12
ग्राम पंचायत ...
पं.स.व जिला बांसवाड़ा (राज.)

संलग्न :–

1. नकल की प्रति।
2. मकान के सदस्यों की सूची।

① सन्त कुमार विकास

2 प्रभु
3 नारायण
4 मोमन्ती
5 नानु
6 राजु मईला
7 गौतम
8 लला
9 मदन
10 कालुराम
11 लक्ष्मण
12 गणेश
13 मुकेश
14 केसर
15 नटवर
16 रामा
17 यमुना
18 शोभा
19 किशोर
20 रोज
21 सुगना पुर्वाचाई
22 फुमपाद निनामा
23 नाकु
24 —
25 जना
26 पारी
27 करी

28 मंजु
29 बापुडी
30 शान्ती
31 नाथ
32 कैलाश
33 ज्योति कुमार भाजपानेता
34 [signature]
35 [signature]
36 कालु
37 ममता निनामा
38 शमिता निनामा
39 किरण
40 Kamal
41 महिपाल
42 नरसिंग
43 मांगीलाल
44 दिनेश
45 ~~जिनेश~~

नि. ठाकर
[signature]
परसिंग निनामा
प्रकाश

कुलश्री
नि. कानजी
लमछना
हरीश
माईला
नि. सुक्कान
अंकुश
राजकुमार
Geeta
सोना
ओच्छन नामा
नि. समुडी
Sunil
अजेश
कल्पना
कविता
रकमा
नि. अमत
ममता
सविता

निमनसा

शिवा निनामा

वागजी

मुकेश

गणेश महिडा

बबसु

प्रकाश निनामा

अंकित निनामा

Amit

नारु

गवेश भाभर

बापू

ए.स. डोगा

Sunil

Annexure- 3

सेवा में,

जिला कलक्टर महोदय // पदूषण नियन्त्रण
बांसवाड़ा (राजस्थान) / मंडल बांसवाड़ा

विषय - माइन्स जनसुनवाई हेतु

महोदय !

नम्र निवेदन है कि नई माइन्स ML 11/2019 खदान क्षेत्रफल 1.00 L एवं कलस्टर क्षेत्रफल 6.0041 कि जनसुनवाई के जो भी बाते ग्रामवासियों के द्वारा रखी गई वह चीब, खेरडाबरा, S.S. stone अनिता माइन्स में हुई घटना के आधार पर वहा के निवासीयों में परेशानिया बताई गई महोदय से निवेदन है कि मेरी माइन्स जो ग्रा. खेरडाबरा, खेड़ा में पड़ती है उस माइन्स से कोई ~~माली~~ ताल्लुकात नही है, जो कि पुरानी अविकृत माइन्स है वो चीब में पड़ती है। और मेरी माइन्स खेड़ा खेरडाबरा में स्थायी निवासी को कोई आपत्ती नही है।

बहादुर
बापुलाल
कैलाश
कालु बारिया
सोहन
नाथी
जवाला
राजु परिया
पुष्पा
रमेश
देवी लाल मीणा
रिना
ईश्वर
नरेश
बापुलाल
कुबेर
गणेश
कमलेश
पन्ना
जीवा
परिया
काळु